संख्या–963 /उत्तीस(2)/17–2(91 पे0)/2014 टी.सी. III

प्रेषक

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त अभिशासी अधिकारी,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 25 अप्रैल,2018

विषय :– **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1692/N-554/2017-18 दिनांक 21 दिसम्बर,2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत तालिका के कालम–6 में अंकित राज्यांश की धनराशि रू0 60.16लाख को पूर्व में 50 : 50 के अनुपात के आधार पर अधिक अवमुक्त की गयी राज्यांश की धनराशि के सापेक्ष समायोजित करते हुए तालिका के कालम–4 में अंकित केन्द्रांश रू0 541.41लाख(रू0 पांच करोड़ इकतालीस लाख इक्तालीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय हेतु आपके निपटान पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

तालिका

(धनराशि रू0 लाख में)

S.N.	Components	Central Shere		State Share		Total(Centre Shere + State Share)
		Ratio	Amount	Ratio	Amount	
1	2	3	4	5	6	7
1	Coverage/ Sustainability (Functionality)	90%	541.41	10%	60.16	601.57
		Total	**541.41**		**60.16**	**601.57**

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके केवल परिपक्व प्रस्तावों के लिए ही आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च,2019 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि निर्माणाधीन कार्य पर कार्य की अनुमोदित लागत सीमा के अन्तर्गत त्रैमासिक आवश्यकतानुसार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अपने स्तर से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित की जायेगी। धनराशि आवंटन के समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि जिस कार्य हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है, उस कार्य पर पूर्व में आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग 80% तक हो गया हो।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय रू0 1.00करोड़ से अधिक लागत के नये कार्यों/योजनाओं पर बिना शासन के अनुमोदन के कदापि नहीं किया जायेगा।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुदान संख्या–30 के अतिरिक्त किसी अनुदान की योजनाओं में नहीं किया जायेगा।

(vi) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश से निर्मित योजना के कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित व वर्तमान में प्रभावी दिशा–निर्देशों तथा भारत सरकार के इस सम्बन्ध में लागू अन्य संगत नियमों/निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(ix) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xi) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 में **अनुदान संख्या–30**, के लेखाशीर्षक– 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01– जलापूर्ति– 102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (CSS)–01–राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद के नामे डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या– H1804300467 दिनांक 20 अप्रैल,2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या– 519/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 519/3(150)/ XXVII (1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल,2018 के प्रस्तर–12 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0 संख्या–963 (1)/उन्तीस(2)/18–2(91 पे0)/2014 टी.सी.–III तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
8. बजट निदेशालय, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–/2, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।